

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

129/83-84

क्रमांक.....19

यह प्रमाणित किया जाता है कि.....रावत बाल विद्या निकेतन समिति,
.....जयपुर.....जिला.....जयपुर.....
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
नं. 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक.....माह.....सन् एक हजार नौ सौ.....को
जयपुर में दिया गया ।

राजेश्वर सिंह
राजेश्वर सिंह
रजिस्ट्रार संस्थायें, राजस्थान,
जयपुर ।

रा. मु. ००

For RAWAT PUBLIC SCHOOL

SECRETARY

PRINCIPAL
RAWAT PUBLIC SCHOOL
BHANKROTA, JAIPUR